रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-03032025-261426
CG-DL-W-03032025-261426

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 05] नई दिल्ली, फरवरी 23—मार्च 01, 2025, शनिवार/ फाल्गुन 4—फाल्गुन 10, 1946
No. 05] NEW DELHI, FEBRUARY 23— MARCH 01, 2025, SATURDAY/ PHALGUNA 4– PHALGUNA 10, 1946

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2025

सा.का.नि. 19.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, कार्यालय अधीक्षक (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

Note 2.- Period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental promotion committee exists, what is its composition	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - (1) Director, North Eastern Police Academy, Shillong — Chairman; (2) Additional Director, North Eastern Police Academy, Shillong — Member; (3) Joint Director, North Eastern Police Academy, Shillong — Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 23011/10/2024-Police Trg.]

CHANDAN KUMAR, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2025

सा.का.नि. 22.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में उप निदेशक (लेखा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, उप निदेशक (लेखा), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि।-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति,आयु सीमा,अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है,विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण है, उन्हे लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन पद या अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप निदेशक (लेखा)	01* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -11 (67700-208700 रुपये)।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी:-	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति पश्चात पाँच वर्ष की सेवा की हो; (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों, अर्थात:- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एक विषय के रूप में वाणिज्य या अर्थशास्त्र या वित्त के साथ स्नातक की डिग्री; (ii) किसी विभाग में लेखा और वित्त में तीन वर्षों का अनुभव। (iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रसासशनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त संगठनों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं में पब्लिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में कार्यकरण का अनुभव ऐसे अधिकारी को पीएफएमएस का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

[फा. सं. ए 12018/12/2022-एमएच-II]

अभिषेक पाण्डे, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 24th February, 2025

G.S.R. 22.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director (Accounts) in Safdarjung Hospital, New Delhi, in the Ministry of Health and Family welfare namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Deputy Director (Accounts), Group 'A' post, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. .- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax **any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.**

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Deputy Director (Accounts).	*01 (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700 - 208700).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption is to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including short-term contract).	Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or universities or recognised research institutions: (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level - 10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) in the parent cadre or	Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

			department, and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Bachelor's degree with commerce or Economics or Finance as a subject from a recognised university or institute; (ii) three years experience in Accounts and Finance in a department of Central Government or State Government or Union territory Administrations or public sector undertakings or autonomous or statutory organisations or university or recognised research institution; and (iii) Experience of working on Public Financial Management System. **Note 1:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age- limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the last date of receipt of applications.		

[F. No. A.12018/12/2022-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2025

सा.का.नि. 23.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'ग' पदों), भर्ती नियम, 1981, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, अवर श्रेणी लिपिक और प्रवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पदों), भर्ती नियम, 2017, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, अवर श्रेणी लिपिक और प्रवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पदों), भर्ती नियम, 2019, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफ़गढ़ नई दिल्ली, अवर श्रेणी लिपिक और प्रवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पदों) भर्ती नियम, 2019 तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली अवर श्रेणी लिपिक और प्रवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पदों) भर्ती नियम, 2021 जहाँ तक उनका संबंध (समूह 'ग' पदों) अवर श्रेणी लिपिक और प्रवर श्रेणी लिपिक पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों, नई दिल्ली में अवर श्रेणी लिपिक और प्रवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-